

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 340/20-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मसीह दास हेमरोम

- विक्रेता

मरसलन हेमरोम

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
22.12.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक मसीह दास हेमरोम पिता स्व0 जीवन हेमरोम ग्राम-रनियां, थाना रनियाँ, जिला खूँटी ने मरसलन हेमरोम पिता स्व0 जीवन हेमरोम ग्राम-रनियां, थाना रनियाँ, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="239 739 1340 840"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रनिया</td> <td>138</td> <td>29</td> <td>1086</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ निबंधन पट्टा एवं लगान की रसीद सं0 0234163701 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के पत्रांक 739 दिनांक 22.12.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम कोए मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार कोए मुण्डा वगैरह के नाम 18.20 एकड़ हैं। आवेदक के हिस्से में कुल रकबा 18.20 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का प्रस्तावित दर 10910.00(दस हजार नौ सौ दस)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 17.90 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना रनियाँ के निवासी हैं एवं एक ही जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, रनियाँ के द्वारा अनुशंसा किया गया है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, रनियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मसीह दास हेमरोम पिता स्व0 जीवन हेमरोम को मरसलन हेमरोम पिता स्व0 जीवन हेमरोम के साथ ग्राम रनियाँ के खाता सं0 29 खेसरा संख्या 1086 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 10910.00(दस हजार नौ सौ दस)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, रनियाँ के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="204 1904 494 2087"> <p style="text-align: center;"> 22/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> </div> <div data-bbox="989 1904 1292 2087"> <p style="text-align: center;"> 22/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> </div> </div>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	रनिया	138	29	1086	0.30	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)								
रनिया	138	29	1086	0.30								